11

संoसंo 3/विविध–01–116/2017

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक :

विषयः डा0 अरूण कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई का दिनांक 24.11.2015 से दिनांक 21.06.2018 तक के अवधि को विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **डा0 अरूण कुमार सिंह** प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने के पूर्व सिविल सर्जन, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित थे । डा0 सिंह स्वास्थ्य खराब होने के उपरान्त दिनांक 24.11.2015 से अवकाश पर चले गये तथा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उनके द्वारा दिनांक 13.12.17 को मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान दिया गया । स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या–16(3) दिनांक 11.01.18 से डा0 सिंह को चिकित्सीय कार्य करने हेतु सदर अस्पताल, जमुई में नियमित पदस्थापन होने तक प्रतिनियुक्त किया गया।

2. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–438(3) दिनांक 21.06.18 द्वारा डा0 सिंह का पदस्थापन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई के पद पर किया गया तथा उक्त विभागीय आदेश के आलोक में दिनांक 22.06.18 के पूर्वाह्न में डा0 सिंह द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया।

3. इस प्रकार **डा0 अरूण कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई का दिनांक 24.11.2015 से दिनांक 21.06.2018** तक की प्रभार रहित अवधि को आपके ज्ञापांकः LR: 160120190201058 के द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता के आलोक में निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:–

(क) दिनांक 24.11.15 से 22.06.16 तक – 212 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
(ख) दिनांक 23.06.16 से 02.01.17 तक – 194 दिनों का अर्जित अवकाश।
(ग) दिनांक 03.01.17 से 12.12.17 तक – असाधारण अवकाश।
(घ) दिनांक 13.12.17 से 11.01.18 तक – पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में।
(च) दिनांक 12.01.18 से 21.06.18 तक – कर्तव्य अवधि के रूप में।

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक : 3/विविध–01–116/2017 841(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 22/7/19

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, **जमुई**/सिविल सर्जन, **जमुई**/अधीक्षक/उपाधीक्षक, **सदर अस्पताल, जमुई/डा0 अरूण कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3,7 एवं 9 तथा आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.7.19

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\Latter & Order-12.2.2019.docx-8719-11:36pm